संख्या-65/505/47-का-3-2014-9/23/2013

प्रेषक,

पी0बी0 सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

2- सचिव
लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- प्रशासक
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 11 अप्रैल, 2014**

विषय- प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेंट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-ए-1-80/दस-2014-10(28)/2011, दिनांक 11.02.2014 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-65/505(1)/47/का-3//2013, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- कार्मिक अनुभाग-4.
2- नियुक्ति (लेखा) अनुभाग।
3- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या-ए-1-80/दस-2014-10(28)/2011, दिनांक 11.02.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in